अनुसूची 21—फारम सं० 113

12/1/18

संपत्ति अवभार प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या 19..... आवेदन सं० 462 19

चूँकि श्री Sri Raj Narayan Singh 11-1-18

ने मेरे पास आवेदन दिया है कि निम्नांकित संपत्ति के संबंध में निर्धारित संव्यवहारों और अवभारों का सविवरण प्रमाण पत्र दिया जाये; (आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दे।)

इसलिये मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में बही में और उससे सम्बद्ध अनुक्रमणिकों में ता० 2005 to till end 19

तक तलासी की गयी और ऐसी तलासी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला

चला है अतः निम्नवत

क्र० सं०	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्र० निदेश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Mauza - Sikanderpur, P.S - Danapur, Dist - Patna
Thana no - 17, Tauzi no - 5854, Khata no - 228
Plot no - 613, Area - 62 Decimals,
Mohalla / Area - Sikanderpur Biscuit factory

Boundaries

North - Ram Ishwar Singh
South - Rajeshwar Singh
East - Present Purchasers
West - Plot no - 531 and Bhageram Singh

Sub Registry Office, Danapur
Receipt for search, inspection and copy

Roy Narayan singh

Misc token no. Serial no. 462

Year Date 11-1-18

Received from

Following fees:

F (i)- 0
F (ii)- 0
F (iii)- 0
F (iv)- 0
G- 0
G(a)- 0
Total- 0
300

Registering Officer

1. दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।
2. बंधक पत्र की दिशा ब्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। बशर्ते को उसके बारे में उल्लेख हो।
3. पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहारों और अवभारों को छोड़ उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवभार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलासी की प्रमाण-पत्र तैयार किया:

(हस्ताक्षर) Bhandra

(पदनाम): U D C.

तलासी का सत्यापन और प्रमाण की जांच निम्न व्यक्ति ने की:

(हस्ताक्षर): [illegible]

(पदनाम): L.D.C

कार्यालय: Danapur

तारीख: 12-1-18

अवर निबंधन कार्यालय दानापुर पटना

मुहर एवं निबंधन पदाधिकारी के हस्ताक्षर 12-1-18

टिप्पणी: इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहार और अवभार दिखाये गये है वे आवेदन द्वारा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये है। यदि आवेदक द्वारा किये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं किन्हीं संपत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया हो तो वैसी दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्जेक्शेनस) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

2. निबंधन अधिनियम की धारा-५७ के अधीन जो व्यक्ति (बाहरी) और अनुक्रमणियों (इन्डेक्स) की प्रविष्टियाँ देखना चाहते हो अथवा उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हो जिन्हें निर्दिष्ट संपत्तियों के अवभारों के प्रमाण-पत्रों की जरुरत हो उन्हे तलासी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर बहियाँ और अनुक्रमणियाँ उनके पास सामने रखदी जायेगी।

✓ (क) किन्तु चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलासी नहीं की है, इसलिये कार्यालय अपेक्षित तलासी प्रमाण को किसी भूल के लिये किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

X (ख) और चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलासी स्वयं की है, और चूँकि उसके बाद ढूँढे गये संव्यवहारों और अवभारों को सत्यापन के बाद प्रमाण पत्र में दिया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा ढूँढे गये ऐसे संव्यवहारों और अवभारों की छूट के लिए किसी तरह जिम्मेदार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

कार्यालय बही निबंधन 15/1/18

हार नंबर 123 दिनांक

आवेदक श्री Shri Raj Narayan Singh

को अवभार प्रमाण पत्र द्वारा Bank of India Birchand Patel Road. Nagar Patna.

का उसके पत्र संख्या दिनांक 08/01/18 के प्रसंग में अग्रसारित की जाती है।

निबंधन पदाधिकारी 12/01/18

SPL-460/99-2,00,000